



गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

जी.बी.यू.-012/डी.एस.ए./2025-790

दिनांक:- 17/10/2025

::नोटिस::

समस्त विद्यार्थियों को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं छात्रावास परिसरों में ध्वनि तथा अग्नि उत्पन्न करने वाले पटाखों आदि द्वारा विश्वविद्यालय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की घटनायें संज्ञान में आयी हैं। साथ ही मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों आदि पर पटाखों फेंकने जैसा प्रकरण भी संज्ञान में आया है। ज्ञात हो कि उपरोक्त कृत्य न केवल गैर कानूनी हैं, अपितु सुरक्षा की दृष्टि से भी चिन्ताजनक है। ऐसे कृत्य करने वालों के विरुद्ध निम्न कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है-

1. छात्रावास से निष्कासन (Hostel Expulsion)
2. विश्वविद्यालय से निष्कासन (University Expulsion)
3. वास्तविक क्षतिपूर्ति एवं एक लाख रुपये तक का जुर्माना।
4. सरकारी सम्पत्ति नष्ट करने सम्बंधी पुलिस एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही।

आप सभी से अपेक्षा कि जाती है कि विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण बनाये रखने हेतु संकल्पित हों।

(डा० मनमोहन सिंह शिशौदिया)
प्रभारी, छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित को सूचनार्थ।

- माननीय कुलपति महोदय, के स्टाफ को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
- अधिष्ठाता शैक्षणिक को।
- कुलसचिव को।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

- समस्त संकाय अधिष्ठाता/प्रभारी अधिष्ठाताओं को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्डों पर चर्चा कराये जाने हेतु।
- मुख्य छात्रावास अभिरक्षक (पुरुष/महिला) को नोटिस बोर्डों पर चर्चा कराये जाने हेतु।
- समस्त छात्रावास अभिरक्षक (पुरुष/महिला) को नोटिस बोर्डों पर चर्चा कराये जाने हेतु।
- सिस्टम मैनेजर को समस्त प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारियों, शैक्षक, शिक्षणेत्तर एवं छात्र/छात्राओं इत्यादि को ई-मेल प्रेषित किया जाने एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


17.10.25

प्रभारी, छात्र कल्याण
प्रभारी, छात्र कल्याण
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा (उ० प्र०)